संख्या-20/2026/आई/1259213/2026/001-23-7005(099)/3/2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2026

विषय:- एम0ए0सी0पी0 सं0-209/2017 (पुराना नम्बर) एम0ए0सी0पी0 सं0-273/2019 (नया नम्बर) अंकिता एवं 04 अन्य बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी0डी0, पी0डब्ल्यू0डी0, उन्नाव एवं अन्य में मा0 न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, उन्नाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0-11580 बी0जी0/209बी0(74)/2025-26, दिनांक 11.02.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एम0ए0सी0पी0 सं0-209/2017 (पुराना नम्बर) एम0ए0सी0पी0 सं0-273/2019 (नया नम्बर) अंकिता एवं 04 अन्य बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी0डी0, पी0डब्ल्यू0डी0, उन्नाव एवं अन्य में मा0 न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, उन्नाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन में धनराशि रू0 17.60883 लाख (रूपये सत्रह लाख साठ हजार आठ सौ तिरासी मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है। उक्त के अतिरिक्त देय धनराशि की गणना प्रशासनिक दक्षता के अंतर्गत की जाय एवं वास्तविक भुगतान की तिथि तक ही गणना करके नियमानुसार देय धनराशि का भुगतान किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 17,60,883 (रूपये सत्रह लाख साठ हजार आठ सौ तिरासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित आधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-20/2026/आई/1259213/2026/001-23-7005(099)/3/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, उन्नाव।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।